राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–प. 6 ( ) आ.कृ./रसायन/सा.है.कार्ड द्वि.च./2017–18/9766–10015 दिनांकः 05-09-17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद , समस्त।

विषयः– सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के द्वितीय चरण वर्ष 2017– 2019 के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017–18 के लिए जारी दिशा–निर्देश में सम्मिलित किए जाने के क्रम में।

सन्दर्भः– कृषि आयुक्तालय का पत्रांक प. 6 () आ.कृ./रसायन/सॉ.है.कार्ड द्वि.च./ 2017–18/7883–8138 दिनांक 31.07.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत क्रियान्वित सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के द्वितीय चरण वर्ष 2017 से मार्च, 2019 तक क्रियान्वयन हेतु सन्दर्भित पत्र द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है। दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 10.1 तथा 13.3 में वित्त विभाग की आई डी संख्या 101704326 दिनांक 21.08.2017 के अनुमोदन अनुसार नमूना संग्रहण में विभिन्न आईटम हेतु निम्नानुसार व्यय करने की सहमति प्रदान की गई है, जिसे उक्त बिन्दुओं में निम्नानुसार जोडा जाता हैः–

क्र. सं.	आईटम/कार्य विवरण	अधिकतम प्रावधानित राशि रू. प्रति नमूना
1	नमूना संग्रहण हेतु मजदूरी व्यय	23.00
2	नमूना सामग्री हेतु व्यय	7.00
3	नमूना परिवहन हेतु व्यय	5.00
4	जीपीएस पाठ्यांक कृषि पर्यवेक्षक द्वारा स्वयं के मोबाईल फोन अथवा आउट सोर्स के आधार पर लेने हेतु व्यय	3.00

अतः सॉयल हैल्थ कार्ड योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में नमूना संग्रहण के लिए उपरोक्तानुसार प्रावधानित राशि का उपयोग निर्धारित वित्तीय नियमों के अनुसार किया जावें।

दिनांक 29.08.2017 को भारत सरकार द्वारा आयोजित विडियों कान्फ्रेंस में दिये गये निर्देशानुसार द्वितीय चरण में एकत्रित होने वाले समस्त मृदा नमूनों में कृषकों के आधार कार्ड नम्बर आवश्यक रूप से लिए जावें, जो कि नमूना ईकाई के सभी कृषि जोत हेतु लिए जायेंगे।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

कृ.पृ.उ.

D:\folder 2017-18\Soil Health Card\Soil Health card guideline 17-18.docx

क्रमांकः–प.6 ( ) आ.कृ. / रसायन / सा.है.कार्ड द्वि.च. / 2017–18 / 9766- 10015 दिनांकः 05-9-1

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, (INM) भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त– समस्त।
5. जिला कलेक्टर– समस्त।
6. अति० निदेशक कृषि (अनु० / एनएमओओपी / समन्वय / आदान / विस्तार),कृषि आयुक्तालय,जयपुर।
7. संयु. निदे. कृषि, (योजना / आरकेवीवाई / प्रशासन / गु०नि० / प्रबोधन एवं मूल्यांकन / आदान / विस्तार / एनएमओओपी / सांख्यिकी / पौ०सं० / फसल बीमा / आयुक्तालय जयपुर / रसा. जीपीआरटीएल (दुर्गापुरा), जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक कृषि (वि०), खण्ड, समस्त।
9. उप निदेशक कृषि, वि०, अभियांत्रिकी / बीज / उर्वरक / सांख्यिकी / सूचना / कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
10. ए.सी.पी., कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
11. पी.आर.ओ., कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
12. उप निदेशक कृषि, (रसायन), राज्य स्तरीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला,दुर्गापुरा, जयपुर।
13. उप निदेशक कृषि (वि०), जिला परिषद, समस्त।
14. सहायक निदेशक कृषि (वि०), समस्त।
15. प्रभारी अधिकारी, मि०परी० प्रयोगशाला, झालावाड़, श्रीगंगानगर, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर।
16. प्रभारी अधिकारी, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, द्वारा उप निदेशक कृषि (वि०), जिला परिषद, पाली, सिरोही, जालोर, बाडमेर, जैसलमेर, अजमेर, भीलवाडा, उदयपुर, चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, करौली, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, चुरू, हनुमानगढ़, बून्दी, बारां, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, नागौर, टोंक।

(सुरेश गौतम)
अतिरिक्त निदेशक कृषि (अनु.)

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

कमांकः–प.6 ( ) आ.कृ./रसायन/सा.है.कार्ड द्वि.च./2017–18/7883– 8138 दिनांकः 31-7-17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त।
जिला परिषद..

विषयः–सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के द्वितीय चरण वर्ष 2017– 2019 के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017–18 के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश।

नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 से राष्ट्रव्यापी सॉयल हैल्थ कार्ड योजना लागू की गई थी, जिसके प्रथम चरण (वर्ष 2015 से मार्च, 2017) में राज्य की सभी कृषि जोत को सॉयल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे है। भारत सरकार के निर्देशानुसार योजना का द्वितीय चरण वर्ष 2017 से मार्च, 2019 तक क्रियान्वित किया जाना है। वर्ष 2017–18 में उक्त योजना के द्वितीय चरण के कियान्वयन हेतु कार्य प्रकिया एवं लक्ष्य निर्धारित करते हुये दिशा–निर्देश जारी किये जाते है।

कृपया संलग्न दिशा–निर्देशानुसार योजना का क्रियान्वयन कराते हुए मासिक प्रगति से आयुक्तालय को सूचित कराना सुनिश्चित करावें।

संलग्न–दिशा–निर्देश

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

कमांकः–प.6 ( ) आ.कृ./रसायन/सा.है.कार्ड द्वि.च./2017–18/7883– 8138 **दिनांकः** 31/7/17
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, (INM) भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त– समस्त।
5. जिला कलेक्टर– समस्त।
6. अति0 निदेशक कृषि (अनु0/एनएमओओपी/समन्वय/आदान/विस्तार),कृषि आयुक्तालय,जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक कृषि, (योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गु0नि0/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/आदान/विस्तार/एनएमओओपी/सांख्यिकी/पौ0सं0/फसल बीमा/कृषि आयुक्तालय जयपुर/रसायन आरपीटीएल (दुर्गापुरा), जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक कृषि (वि0), खण्ड, समस्त।
9. उप निदेशक कृषि, वि0, अभियांत्रिकी/बीज/उर्वरक/सांख्यिकी/सूचना/कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
10. ए.सी.पी., कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
11. पी.आर.ओ., कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
12. उप निदेशक कृषि, (रसायन), राज्य स्तरीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला,दुर्गापुरा, जयपुर।
13. उप निदेशक कृषि (वि0), जिला परिषद, समस्त।
14. सहायक निदेशक कृषि (वि0), समस्त।
15. प्रभारी अधिकारी, मि0परी0 प्रयोगशाला, झालावाड़, श्रीगंगानगर, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर।
16. प्रभारी अधिकारी, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, द्वारा उप निदेशक कृषि (वि0), जिला परिषद, पाली, सिरोही, जालोर, बाडमेर, जैसलमेर, अजमेर, भीलवाडा, उदयपुर, चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, करौली, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, चुरू, हनुमानगढ़, बून्दी, बारां, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, नागौर, टोंक।

(अजय पचौरी)
संयुक्त निदेशक कृषि (रसायन)

(कार्यालय उपयोग हेतु)

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत

सॉयल हैल्थ कार्ड योजना
(एस एच सी एस)
द्वितीय चरण (वर्ष 2017–2019)

के कियान्वयन हेतु

विस्तृत दिशा–निर्देश
(2017–18)

<u>कियान्वयन ईकाई–</u>

संयुक्त निदेशक कृषि (रसायन)
कृषि आयुक्तालय,
पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–5
email id: jdagr_chem@rediffmail.com